निदेशालय

महानिदेशक, गृह रक्षा राजस्थान,

फोन :– 0141–2612591, फैक्स : 0141–2612592, ई–मेल : sso1rajh

Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

E-Mail

क्रमांकःगृरगु/प्रशि0/डी–1(1–1)88 पार्ट–III/20361-491 दिनांकः 5-8-19

— :: परिपत्र :: —

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं को उनकी मांग पर गृह रक्षा स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर तैनात करने हेतु इस मुख्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक गृरगु/प्रशि0/डी–1(1–1)88 पार्ट–III/ 15898–910 दिनांक 26.06.2018 का व्यतिक्रमण करते हुए शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा सदस्यों के नियोजन हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है:–

1. स्वयं सेवकों की ड्यूटी नियोक्ता विभाग मे समकक्ष स्थाई कार्मिकों पर लागू नियमो के अनुरूप परिभाषित मानी जावेगी।
2. स्वयं सेवकों की ड्यूटी की अवधि मांगकर्ता विभाग/संस्थाओ के समकक्ष स्थाई कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार मानी जावेगी।
3. ड्यूटी पर उपलब्ध कराये जाने वाले सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत तथा समय–समय पर यथा संशोधित दर से ड्यूटी भत्ता/मानदेय भत्ता/अन्य भत्ते देय होगें। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(5)गृह–7/2012 दिनांक 03.04.2018 के आदेशानुसार वर्तमान मे पुलिस आरक्षी के समान ड्यूटी करने वाले गृह रक्षा स्वयं सेवक जो निर्धारित वर्दी मे पुलिस आरक्षी के समान सुरक्षा ड्यूटी करते है तथा वाहन संचालन का कार्य करने वाले समस्त वाहन चालक गृह रक्षा स्वयं सेवको को **ड्यूटी भत्ता राशि रूपये 693/– प्रतिदिवस** की दर से तथा अन्य गृह रक्षा स्वयं सेवक जो सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागो एवं संस्थानो मे बिना वर्दी सामान्य गणवेश मे अन्य विविध ड्यूटियो पर नियोजित किये जाने वाले है, को **ड्यूटी भत्ता राशि रूपये 590/– प्रतिदिवस** दर से भुगतान देय है।
4. स्वयं सेवकों को 15 कि.मी. से अधिक दूरी पर ड्यूटी के लिये तैनात किया जाता है, तो उन्हें यात्रा भत्ता, विराम भत्ता राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होगा। वर्तमान में जयपुर व राज्यों की **राजधानी में रूपये 350/–** एवं अन्य स्थानों पर **विराम भत्ता रूपये 250/– प्रति दिवस** देय है (वित विभाग का आदेश क्रमांक एफ–6(3)FD/Rules/2012 Pt. दिनांक 09.06.2017)
5. यदि ड्यूटी स्थान सदस्यों के निवास स्थान से 08 कि.मी. से अधिक दूरी पर है, तो उनके निवास स्थान से ड्यूटी स्थल पर आने व जाने के लिये प्रति सदस्य वास्तविक किराया अथवा 20/– प्रति दिन जो भी कम हो ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त देय होगा (राज्य सरकार का पत्र क्रमांक एफ–1(क)(1)गृह–2/2012 दिनांक 06.08.2014)
6. गृह रक्षा स्वयं सेवकों को ड्यूटी व यात्रा भत्ता के अतिरिक्त वर्दी धुलाई भत्ता भी राज्य सरकार की स्वीकृत दर से देय होगा। वर्तमान में धुलाई भत्ता प्रति सदस्य रू. 15/– प्रति सप्ताह तथा अधिकतम 75/– रूपये प्रति माह देय है (राज्य सरकार का पत्र क्रमांक एफ–1(क)(4)गृह–2/2016 दिनांक 27.04.2016)
7. (A) राज्य सरकार के कार्यालयो/विभागो मे ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75 के प्रावधानो के तहत अनुग्रह अनुदान की राशि महानिदेशक, गृह रक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत/भुगतान की जावेगी।

   (B) राज्य सरकार के कार्यालयो/विभागो के अलावा अन्य स्वायत्तशाषी संस्थानो, निगम, बोर्ड केन्द्र सरकार के कार्यालयो, निजी संस्थानो इत्यादि मे ड्यूटी के दौरान स्वयं सेवको की मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान/मुआवजा राशि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75 मे अंकित प्रावधानो के अनुसार सम्बन्धित स्वायत्तशाषी संस्थान, निगम, बोर्ड, केन्द्र सरकार के कार्यालय, निजी संस्थान इत्यादि द्वारा भुगतान की जावेगी।

   (C) ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण चोंट लगने/विकलांग होने की स्थिति मे सम्बन्धित विभाग/संस्थान/उपक्रम द्वारा स्वयं सेवको को मुआवजा राशि/परिलाभ का भुगतान किया जावेगा। यह राशि उक्त विभाग/संस्थान/उपक्रम मे कार्यरत स्थाई कार्मिक जो स्वयं स्वयं सेवक के समकक्ष है को देय मुआवजा/परिलाभों के अनुरूप होगी।
8. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण अगर कोई सदस्य चिकित्सालय में भर्ती होकर ईलाज कराता है, तो चिकित्सालय में भर्ती अवधि को ड्यूटी माना जावेगा तथा इस अवधि का ड्यूटी भत्ता मांगकर्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा। यदि घायल स्वयं सेवक बाहय रोगी के रूप में ईलाज कराता

Scanned by CamScanner

है, चिकित्साधिकारी की सलाह अनुसार अवकाश पर रहता है तो इस अवधि का ड्यूटी भत्ता देय नही होगा। ईलाज के दौरान स्वयं सेवक पर होने वाले चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण मांगकर्ता ऐजन्सी द्वारा किया जावेगा।

9. होमगार्डस की सेवाये प्राप्तकर्ता विभाग /संस्थान/निगम को केन्द्रीय उत्पाद व सेवा शुल्क विभाग द्वारा सेवा शुल्क की निर्धारित राशि का राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियोजन व्यय के अतिरिक्त भुगतान कराना होगा।
10. स्वयं सेवकों की ड्यूटी के पर्यवेक्षण में तैनात स्थाई स्टाफ का यात्रा भत्ता/विराम भत्ता राज्य सरकार द्वारा अधिकृत यात्रा भत्ता नियम के अनुसार मांगकर्ता ऐजन्सी द्वारा देय होगा।
11. स्वयं सेवकों की ड्यूटी 08 घन्टे से अधिक नही ली जावेगी।
12. स्वयं सेवकों को एक माह के रोटेशन में बदला जावेगा।
13. स्वयंसेवक को नियोजन अवधी मे देय मानदेय (ड्यूटी भत्ता) की कुल राशि का 10 प्रतिशत विभागीय वैलफेयर फण्ड में जमा कराना होगा।
14. समस्त राजकीय विभागो को छोड़कर सभी मांगकर्ता ऐजन्सी को स्वयं सेवकों को एक माह के लिये देय भत्तों की कुल राशि का अग्रिम भुगतान कार्यालय में जमा कराना होगा। इस राशि का ड्यूटी समाप्ति पर अन्तिम भुगतान करते समय समायोजन किया जावेगा।
15. नियोजित स्वयं सेवक द्वारा की जा रही विधिपूर्ण ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की कानून पेंचीदगीयॉ उत्पन्न होने की परिस्थिति में समस्त प्रकार की विधिक कार्यवाही करने का दायित्व नियोजक एजेन्सी का होगा तथा इस पर होने वाला व्ययभार भी नियोजक एजेन्सी द्वारा देय होगा।
16. गृह रक्षा सदस्य को डयूटी के दौरान भा.द.सं. की धारा 21 में परिभाषित **लोक सेवक** की मान्यता प्राप्त होंगी। (राज. होमगार्डस एक्ट 1963 की धारा–11)
17. मांगकर्ता एजेन्सी द्वारा आर्म्ड होमगार्डस की मांग करने पर हथियार, ईक्यूपमेन्ट की सुरक्षा हेतु सुरक्षित कोत (कक्ष) उपलब्ध कराने एवं उनके रख–रखाव का दायित्व सम्बन्धित मांगकर्ता एजेन्सी/विभाग का होगा।
18. किसी विभाग/संस्थान/उपक्रम आदि से स्वयं सेवक उपलब्ध कराने की लिखित मांग प्राप्त होने पर उक्त शर्तो की लिखित सहमति प्राप्त कर उपलब्धता के अनुसार स्वयं सेवकों को ड्यूटी देने के लिये नियोजनकर्ता को उपलब्ध कराने के लिये समादेष्टा गृह रक्षा सक्षम होगें।

यह नीति शहरी/ग्रामीण होमगार्डस् पर लागू होगी।

(ओ.पी.गल्होत्रा)
महानिदेशक पुलिस
गृह रक्षा राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (ग्रुप–7) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्ट्र्स/सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त कमाण्डेंट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली।

उप महासमादेष्टा,
गृह रक्षा राजस्थान
जयपुर

Scanned by CamScanner